

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

लखनऊ:दिनांक ०१ अप्रैल, 2018

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/७६०

आवश्यक सूचना

नीट पी०जी०-२०१८ के शैक्षणिक सत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के कालेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक शुल्क निर्धारित किया जा चुका है तथा उक्त कालेजों में प्रवेश हेतु प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालय नोडल सेन्टर नामित किये गये हैं, जो विभाग की वेबसाईट www.updgm.in पर उपलब्ध है। आवंटित छात्रों से यह अपेक्षित है कि आवंटन के पश्चात् नामित नोडल सेन्टर पर निर्धारित शैक्षणिक शुल्क (यदि संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क से कम लिया जा रहा है तो उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट) का बैंक ड्राफ्ट "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०" के पक्ष में देय एवं अपने शैक्षणिक अभिलेखों (मूलरूप में) सहित उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। छात्रावास शुल्क तथा धरोहर धनराशि आवंटित संस्था में जमा किया जाना है।

महानिदेशक